

5/6
18

धौलपुर

अस पक्ष उपन। दोनो पक्षो की वदस हुनी गई। प्रार्थी के विधान अविभाज्य ने अपनी वदल के दोयन कमन प्रिया कि एल-आर-एक्ट की धारा 82 के तहत निर्णय मेरिट पर होगा, अदम टाविले व अदम फेरी मे खारिज नही हो सकता जांचका मेरिट के माध्यम पर निर्णय कला चाहिए। सल्लाही प्रो पर अधिका केसे प्रह दुभा दसका कोई लोअर पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी ने 2144 पत्र भी पेश किया है। अत्रार्थी का दाव कोई 2144 पत्र पेश नही किया है और ना ही खरजा किया है। अतः पत्रावली प्रो दुः। नमर पर प्रिया जाकर अदम अपरकीची करी।

अत्रार्थी का के विधान अविभाज्य ने अपनी वदस के दोयन कमन प्रिया कि रेफरेस प्र-पत्र दिनांक 22/1/6 को अदम टाविले अदम फेरी मे खारिज प्रिया गया है। क्वील प्रार्थी प्रपुनः नमर पर लेने मेरु दिनांक 22/1/12 को प्रपत्र पेश किया है। यह प्रार्थी पत्र 1/2 वर्ष बाद पेश प्रिया गया है। जो म्याद बात है। खारिज प्रिया जाये।

इस बिन्दु पर प्रार्थी के विधान अविभाज्य ने कमन प्रिया कि अत्रार्थी प्रपत्र 151 CEC के वदत है। प्रिये की कोई म्याद खी है। जहां कोई म्याद की वदतीन वर्ष की म्याद होती है।

दोनों पक्षों की वदल हुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रिये ई अ वगलागत करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खीका प्रिया जाकर प्र. सं. पा/2013 सुनील प्रोवा/ पदम सुवाल रिफि 22/1/6 को दुः। नमर पर लिखे जाये के अदम प्रिये जाते है। मध्यम प्रो के वदत हुना है। बाद नमरील प्रिये वदत है। नमर के प्रिया जाये तमा प्रह पत्रावली के प्राम सीलाक 2 है।

(विष्णु मल पहाड़िया)
जिल्ला कालक्टर
धौलपुर